

13<sup>8</sup>/<sub>24</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपास्थित।  
मूल प्रार्थना पंज 0-9, R-13, 0-41, R-21  
सपठित धारा 151 CPC खारिज किया जा  
चुका है। जिससे उक्त स्थगन प्रार्थना  
पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।  
लिहाजा उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज  
किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार  
होकर नंबर से कम हो।



3  
महायक करिक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली